

कार्यालय – मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम

क्रमांक:- 1059


दिनांक:- 04/05/2023

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक क्रमशः 947 दिनांक 27.04.2023 के द्वारा माह मई, 2023 में दिनांक 14.05.2023 एवं 28.05.2023 को राजकीय अवकाशों के दिन जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र के सांगानेर/चाकसू मुख्यालय की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्यों (जिनमें जमानत, रिमाण्ड, 164 दं.प्र.सं. के बयान व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे) से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई हेतु जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र के सांगानेर मुख्यालय पर स्थित न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम-18 एवं 17 के पीठासीन अधिकारीगण को अधिकृत किया गया था।

पारस्परिक सहमति के आधार पर, उक्त आदेश को इस आदेश की सीमा तक अतिलंघित करते हुए उक्त राजकीय अवकाशों के दिन सांगानेर/चाकसू मुख्यालय पर आवश्यक फौजदारी कार्य करने हेतु निम्न न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण को अधिकृत किया जाता है:-

क्र०सं०.	अवकाश की दिनांक	नाम न्यायालय	पीठासीन अधिकारी (सुश्री/ श्रीमती/ श्री) का नाम व मोबाइल नंबर
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>सांगानेर/चाकसू मुख्यालय हेतु</u>			
1.	14.05.2023	एम.एम., क्रम-17, सांगानेर जयपुर महानगर प्रथम	कामाक्षी मीणा, आर.जे.एस. मो० नं० 97806-57800
2.	28.05.2023	एम.एम., क्रम-18, सांगानेर जयपुर महानगर प्रथम	नेहा कुमावत, आर.जे.एस. मो० नं० 80586-79541



 मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
 जयपुर महानगर प्रथम।

प्रतिलिपि सूचनार्थ पुरुष आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:-

क्रमांक:- 1050 + 1057

दिनांक:- 04/05/2023

- माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि यदि सम्बन्धित अधिकारी को उक्त अवकाश दिवस का मुख्यालय परित्याग की अनुमति प्रदान की गई हो तो कृपया उसे निरस्त करने की कृपा करें।
- सहायक निदेशक, अभियोजन, प्रथम, जयपुर महानगर।
- दी बार एसोसियेशन, बनीपार्क/सांगानेर/चाकसू, जयपुर।
- महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम-17/18, सांगानेर, जयपुर महानगर प्रथम।
- पुलिस कण्ट्रोल रूम, जयपुर महानगर को प्रतिलिपि भेज कर लेख है कि समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित किया जावे।
- आदेश पत्रावली/कार्यालय प्रति।
- सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश से सम्बन्धित अधिकारीगण/कर्मचारीगण/पुलिस विभाग के अधिकारीगण/समस्त आरक्षी केन्द्र, जयपुर महानगर आदि सभी को ई-मेल/मैसेज के द्वारा रिमाण्ड छपूटी के सम्बन्ध में सूचित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
- वरिष्ठ लिपिक, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम।


 मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
 जयपुर महानगर प्रथम।